

दिनांक 20.02.2024

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर अभियोजन की ओर से नामित अधिवक्ता श्री आशीष जदली उपस्थित। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस0 एस0 नेगी द्वारा हाजरी माफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या 45ब प्रस्तुत। सुना। न्याय हित में केवल आज के लिए स्वीकृत। पत्रावली बहस हेतु नियत है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

पत्रावली निर्णय/अन्तर्गत धारा 437-ए दं0प्र0सं0 का अनुपालन करने दिनांक 01.03.2024 को पेश हो।

(मौ0 याकूब)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।